न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(श्री सन्तोष कुमार मीना आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्या – 29/2018

निर्णय दिनांक– 06.08.2019

उनवान

सलीम पुत्र मोहम्मद्दीन जाति मुसलमान निवासी अल्लापुरा तहसील उनियारा जिला टोक

–प्रार्थी

बनाम

1.जमील पुत्र मोहम्मद्दीन जाति मुसलमान निवासी अल्लापुरा तहसील उनियारा जिला टोक
2.जमीला पुत्री मोहम्मद्दीन जाति मुसलमान निवासी अल्लापुरा तहसील उनियारा जिला टोक
3.नथ्थों पत्नी मोहम्मद्दीन जाति मुसलमान निवासी अल्लापुरा तहसील उनियारा जिला टोक
4.शकीला पुत्री मोहम्मद्दीन जाति मुसलमान निवासी अल्लापुरा तहसील उनियारा जिला टोक
5.शाहबुद्दीन पुत्र मोहम्मद्दीन जाति मुसलमान निवासी अल्लापुरा तहसील उनियारा जिला टोक
6.हनीफ पुत्र मोहम्मद्दीन जाति मुसलमान निवासी अल्लापुरा तहसील उनियारा जिला टोक
7.तहसीलदार उनियारा जिला टोंक
8.पंजाब नेशनल बैंक शाखा टोंक जिला टोंक राज0

–प्रतिपक्षीगण

दावा बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
उपस्थितः– श्री हरिराज सिंह वकील प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी व प्रतिपक्षी न0 1 ता 6 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 189 रकबा 0.47, ख0न0 197 रकबा 0.03, ख0न0 199 रकबा 4.21 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.71 है0 वाके ग्राम अल्लापुरा तहसील उनियारा मे स्थित है। उक्त आराजी मे प्रार्थी व प्रतिपक्षीगण 1 ता 6 प्रत्येक का 1/7, 1/7 हिस्सा है। प्रार्थी व प्रतिपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का मौके पर हिस्से अनुसार मौखिक विभाजन कर अपने अपने हिस्से पर काश्त की जाती है। प्रार्थी के 1/7 हिस्से से प्रतिपद्वीगण का दूर का भी वास्ता या सम्बन्ध नही है। प्रतिपक्षीगण प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर अवैधानिक रूप से कब्जा करने तथा बिना विभाजन हुये आराजी को रहन बैचान करने पर आमादा है, जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिपक्षीगण के द्वारा प्रार्थी के हिस्से मे मजाहमत व मदाखलत करने तथा व बिना

Scanned by CamScanner

विधिवत विभाजन के प्रार्थी के हिस्से को रहन बैचान की धमकी दिये जाने के कारण उक्त वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिपक्षीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी ख0न0 189 रकबा 0.47, ख0न0 197 रकबा 0.03, ख0न0 199 रकबा 4.21 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.71 है0 वाके ग्राम अल्लापुरा तहसील उनियारा जिला टोंक मे प्रार्थी के हक व हिस्से 1/7 मे किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत नही करे। ना काश्त मे बाधा डाले। प्रतिपक्षी न0 7 व 8 ता फैसला वाद मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षीगण के बावजूद तामीली सुचना के उपस्थित नही आने के कारण उसके विरूद्व दिनांक 18.01.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

प्रार्थी के वकील की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 वाके ग्राम अल्लपुरा प0ह0 ककोड मे वादग्रस्त आराजी ख0न0 189 रकबा 0.47, ख0न0 197 रकबा 0.03, ख0न0 199 रकबा 4.21 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.71 है0 प्रार्थी व प्रतिपक्षीगण 1 ता 6 की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। जिसमे प्रार्थी का 1/7 हिस्सा है। प्रार्थी अपने 1/7 हिस्से का पृथक से तकासमा कराने का अधिकारी है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे प्रबल है। यदि दौराने दावा भूमि का बैचान अन्य सह खातेदारान द्वारा कर दिया जाता है तो वाद बाहुलता बढेगी, जिससे प्रार्थी को प्रतिपक्षीगण की अपेक्षा अपूर्णीय क्षति होगी।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षीगण को ताफेसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी ख0न0 189 रकबा 0.47, ख0न0 197 रकबा 0.03, ख0न0 199 रकबा 4.21 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.71 है0 वाके ग्राम अल्लापुरा तहसील उनियारा जिला टोंक के राजस्व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

यह निर्णय आज दिनांक 06.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सन्तोष कुमार मीना
(आर.ए. एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Scanned by CamScanner